सम्बन्धी आपरेशनों और गर्भनिरोधकों के लिये कितने उपकरण और कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) 1969-70 के वित्तीय वर्ष में मध्य प्रदेश सरकार को इन प्रयोजनों के लिये कितने उपकरण और कितनी धनराशि दिये जाने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपती चन्द्रशेखर) : (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये संख्या** LT-745/69]

(ख) 1969-70 के दौरान परिवार नियोजन कार्य के लिए मध्य प्रदेश सरकार की आवश्यकतानुसार उपकरणों की सप्लाई करने का जहां तक सम्बन्ध है, राज्य सरकार अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, सामान्य पद्धति के अनुसार सम्बन्धित चिकित्सा औषध भण्डार को 'इण्डेण्ट' भेजेगी।

1969-70 में मध्य प्रदेश को परिवार नियोजन कार्य के लिए जहां तक धन नियतन का सम्बन्ध है, वह उसी वर्ष में किए गए विकास कार्यों के आधार पर अनुमोदित पैटर्न के अनुसार निश्चित की जाती है। 1969-70 के आबंटनों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

परिवार नियोजन कार्यक्रम के लिए मध्य प्रदेश को वित्तीय सहायता

6286. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि परिवार नियोजन के लिये वर्ष 1969-70 में मध्य प्रदेश को कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० श्रीपति चन्द्रशेखर) : राज्यों के 1969-70 के आबंटनों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिया जायेगा।

मध्य प्रदेश के अस्पतालों में डाक्टरों की कमी

6287. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या **स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार से पूछा है कि उन्हें सरकारी अस्पतालों के लिये इस समय कितने डाक्टरों की आवश्यकता है;

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि उन अस्पतालों में डाक्टरों की कमी को दूर किया जाये; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ब० सु० मूर्ति): (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

Pending Income-tax Cases in Income-tax Department or Courts

6288. SHRI ARJUN SINGH BHADORIA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of cases at present pending in the Income Tax Department or in the courts in respect of outstanding Income-tax arrears for 1967-68 and 1968-69;

(b) the number of such cases that have been decided by Government as also the number of those cases in which the tax payers have been exempted from the payment of tax; and

(c) the names of tax payers who have been penalised during the above period for the non-payment of Income-tax ?